कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

पत्रांक : सीएसएयू/डब्लू–885/2021 दिनांक : दिसम्बर 17, 2021

आवश्यक सूचना/निर्देश

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के पत्रांक–स0/आ0/090/छात्रवृत्ति–2021–22/2021–931 दिनांक 08.12.2021 वर्ष 2021–22 (जुलाई 2021 से जून 2022) में छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु विश्वविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक एवं परास्नातक समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि मण्डी परिषद छात्रवृत्ति हेतु जो छात्र/छात्रा आवेदन करना चाहें आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 24.12.2021 है, छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति रू0 3000/– प्रतिमाह देय होगी। छात्रवृत्ति आवेदन फार्म अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से अपरान्ह 3.00 से 4.00 बजे तक प्राप्त कर लें, छात्रवृत्ति आवेदन करने हेतु शर्तें निम्नवत है :

आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश :

- लघु एवं सीमान्त कृषकों एवं खेतिहर मजदूरों के पुत्र एवं पुत्रियों तथा उन पर पूर्ण रूप से आश्रित ही छात्रवृत्ति पात्र होंगे।
- छात्रवृत्ति की सुविधा उन्हीं मण्डी क्षेत्रों के कृषकों हेतु अनुमन्य होगी। जहाँ विनियमन लागू हो।
- छात्रवृत्ति का आधार मेरिट होगा स्नातक पाठ्यक्रम हेतु इण्टरमीडिएट का प्राप्तांक का मानक होगा जब कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु स्नातक स्तर के प्राप्तांक या ओ0जी0पी0ए0 होगा।
- छात्रवृत्ति हेतु छात्र/ छात्रा को उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है
- एक बार छात्रवृत्ति स्वीकृत होने पर छात्रवृत्ति की देयता सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के पूर्ण करने हेतु होगी। बशर्ते छात्रवृत्ति योजना मण्डी परिषद द्वारा उस समय तक लागू रहती हो।
- छात्र द्वारा यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय अथवा अन्य श्रोत से प्राप्त हो रही हो तो ऐसी दशा में मण्डी परिषद द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति में से एक विकल्प चुनकर अन्य छात्रवृत्ति वापस करनी होगी ।
- छात्रवृत्ति की पात्रता निर्धारण हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम समान मान (Weightage) दिया जायेगा।
- किसी भी चयनित छात्र के अनुवर्ती परीक्षा में असफल होने या निर्धारित ओ0जी0पी0ए0 कम प्राप्त होने की दशा में छात्रवृत्ति की स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- निरन्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र/छात्रा को चरित्र परिवीक्षा (सी0पी0) में नहीं होना चाहिए, चरित्र परिवीक्षा (सी0पी0) होने की स्थिति में छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी। छात्र/छात्रा को सम्पूर्ण शिक्षण अवधि में अच्छा आचरण एवं अनुशासन रखना अनिवार्य होगा।
- यदि छात्र/छात्रा द्वारा कोई सूचना /तथ्य छिपाया गया है तो बिना किसी पूर्व सूचना के छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी।
- छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्रों का चयन सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। पात्र छात्र सूची अनुमोदन हेतु चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इस समिति में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ सम्बन्धित उपनिदेशक (प्रशासन) अथवा मण्डी निरीक्षक द्वारा नामित किसी अधिकारी का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

(आर0पी0 सिंह)
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अधिष्ठाता, कृषि संकाय/ अधिष्ठाता, गृह विज्ञान / अधिष्ठाता, लखीमपुर/अधिष्ठाता इटावा।
2. कुलसचिव।
3. राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद नवीन मण्डी स्थल, हमीरपुर रोड नौबस्ता, कानपुर ।
4. सह–अधिष्ठाता छात्र कल्याण इटावा।
5. समस्त छात्रावास नोटिस बोर्ड/ प्रभारी एल0के0(एम0कू) को इस आशय से कि बेवसाइट पर नियम शर्तें एवं छात्रवृत्ति आवेदन Upload करने का कष्ट करें।
6. कुलपति के तकनीकी सचिव को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

(आर0पी0 सिंह)
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र

(इस आवेदन को दो प्रतियों मे भरकर सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न कर कार्यालय में जमा करें)

1– छात्र/छात्रा का नाम– ______________________

एवं पंजीकरण सं0 ______________________

2– कक्षा :– ______________ सेमेस्टर ______________

3– पिता का नाम : ______________________

4– स्थाई पता : ग्राम______________ डाकघर ______________

तहसील ______________ जिला ______________

5– पिता/अभिभावक का व्यवसाय : ______________________

6– गत वर्ष उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण :

परीक्षा का नाम	श्रेणी	प्राप्तांक	प्रतिशत

7– पिता/अभिभावक की मासिक आय : ______________________

8– लघु/सीमान्त कृषक/खेतिहर मजदूर का ______________________
तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र

9– छात्रावास संस्तुति : ______________________

10– छात्र द्वारा किसी अन्य छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया गया है : ______________________

11– छात्रवृत्ति हेतु छात्र का विकल्प : ______________________

मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सही है इसमें कोई बात छिपायी नहीं गई है। यदि कोई कथन असत्य पाया जाता है तो मेरी छात्रवृत्ति समाप्त करते हुए पूरी धनराशि दण्ड सहित देने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदन पत्र भरने के दिशा निर्देश

1. आवेदन पत्र स्वच्छ हस्तलिपि में हिन्दी/अंग्रेजी में भरे जायें।
2. श्रेणी में आवेदक द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक जैसी स्थिति ही अंकित किया जाय।
3. आय प्रमाण पत्र मूल रूप में संलग्न किया जाय।
4. हाई स्कूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाय।
5. आवेदन पत्र पर संलग्न फोटो इस प्रकार प्रमाणित की जाय की हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर आये।
6. छात्र का बैंक खाता उसी जनपद में होना चाहिये जिस जनपद में संस्था स्थित है।
7. आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों में जांचोपरान्त यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो आवेदक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
8. स्थायी एवं पत्र व्यवहार के पते में निम्न प्रकार से प्रविष्टियाँ की जाय।

(क) ग्रामीण क्षेत्र ग्राम .... ग्राम पंचायत .... पोस्ट आफिस ....
विकास खण्ड .... थाना क्षेत्र .... तहसील.......... जनपद.............

(ख) शहरी क्षेत्र मकान संख्या .... वार्ड/मुहल्ला................ पोस्ट आफिस ....
थाना क्षेत्र ....शहरी/निकाय ....तहसील................जनपद ....